कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक,कोटा

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक महोदय का आदेश कमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पु.अ.ग्रेड–III/2024–25/26038 दिनांकः30.07.2026 यथाहस्ताक्षर रेफरेन्स न. 23725046 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती 2024 परीक्षा में गैर–अनुसूचित क्षैत्र के पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थी ंको **पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय मासिक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जाए। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नही पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्थाप्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेंगी।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजो से कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगें,मिलान मे यदि भिन्नता की स्थिति पाई जावें तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाई जावें।
4. पदस्थापित अभ्यर्थियो को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जॉच आवश्यक रूप से की जावे ।
5. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
6. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
7. आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाए ।
8. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 50/–रू के के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि,यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जावेंगी।

RajKaj Ref No.:
23882621

Digitally signed by RAM CHARAN MEENA
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-07 15:25:18 IST

v-1.0

9. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जाये कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. चयनित अभ्यर्थियो को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिम नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि मे फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा–महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन (डी.पी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नही होगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जायेगी।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नही माना जावेगा।
14. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण न करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाये ।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि मे इन्हे कैलेण्डर वर्ष मे केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश कमांक–एफ–12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
16. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लिया जावें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
17. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगे।
18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबंधता(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
19. **प्रमुख शासन सचिव कार्मिक(क–2)विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांकःप.7(13)कार्मिक/क–2/26 दिनांकः11.05.2023** के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें:–

"मैं........शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी,मैं भारत की प्रभूता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मै अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूगां/करूगीं।(अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)।"

RajKaj Ref No.:
23882621

Digitally signed by RAM CHARAN MEENA
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-07 15:25:18 IST

20. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 27.08.2026** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

सलंग्नःसूची अभ्यर्थी क्र.स. 01 से 04 ।

(रामचरण मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक कोटा

क्रमांकःजिशिअ/मु–मा/कोटा/संस्था–1/नियु.पु.अ.ग्रेड–III 2024/2026/1326 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– शासन उपसचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
2– सचिव,राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
3– निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
4– संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग,कोटा
5– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
6– जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक,कोटा
7– प्रधानाचार्य,डाईट कोटा।
8– संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ....
9– संबंधित संस्था प्रधान ––––––––––
10–संबंधित आशार्थी
11–रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक कोटा

RajKaj Ref No.:
23882621

Digitally signed by RAM CHARAN MEENA
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-07 15:25:18 IST

v-1.0

कार्यालय आदेश

Batch ID :- 267 (संलग्न सूची:-4 अभ्यर्थी) **Batch Date :- 7/08/2026 10:37:55 AM**

Sr.No	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	ADDRESS	BIRTH DATE	CTG	CTG TYPE	SPL CAT	MERIT NO.	SELECT POSTING PLACE	DISTRICT	Gender	Photo	Sign
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	865011	ANUSUIYA GOCHER	CHANDRA BHAN	VILLAGE KODKEYA POST AJANDA TEHSIL K. PATAN Rajasthan BUNDI KAPREN 323603	25/01/1993	MBC	GENF		268	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOTDADEEPSINGH (224477)	KOTA	FEMALE		
2	863821	SIYARAM KHAROL	JAGDISH PRASAD	VILLAGE KALAREWA POST SIMLIYA TEHSIL DIGOD Rajasthan KOTA KALAREWA 325203	06/01/1994	OBC	GENM		31	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAMORI DABAR (224487)	KOTA	MALE		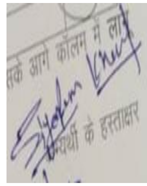
3	865875	FAIJAN MOHAMMED	JABBAR KHA	VILL. POST MORPA TEH. DIGOD - Rajasthan KOTA MORPA 325204	10/09/2002	OBC	GENM		33	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KEWALNAGAR (216641)	KOTA	MALE		
4	854644	JAIPAL SINGH	GULAB SINGH	DEWASIYO, KA VAS, WARD NO 05, POMAWA, POMAWA, PALI, - Rajasthan PALI SUMERPUR 306902	25/06/2004	GEN-EWS	GEN-EWSM		494	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOYANDA (216650)	KOTA	MALE		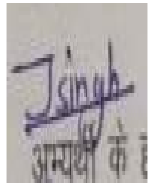

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक कोटा

RajKaj Ref No.: 23882621

Digitally signed by RAM CHARAN MEENA
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-07 15:25:18 IST

v-1.0